

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
3. कलेक्टर, इन्दौर, कटनी, भिण्ड, ग्वालियर, खरगोन, डिण्डोरी, राजगढ़, आगर मालवा, गुना, धार, अलीराजपुर, नीमच, रीवा, रायसेन एवं सागर, ।
4. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सम्भाग, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/भोपाल/उज्जैन/रीवा/सागर/चम्बल ।
5. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता, इन्दौर, कटनी, भिण्ड, ग्वालियर, खरगोन, डिण्डोरी, राजगढ़, आगर मालवा, गुना, धार, अलीराजपुर, नीमच, रीवा, रायसेन एवं सागर, ।
6. सर्वसंबंधित क्रमांक 1 से 14 की ओर पालनार्थ ।
7. स्थापना- 6, 7 एवं 12 मुख्यालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :स्था./2/2017/1896

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

आदेश

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित कर कालम नम्बर 4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

| क्रमांक | नाम कर्मचारी | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|---------|---|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री नरेन्द्र सोनकर (स्थानीय परिवर्तन) | बीज संघ, जबलपुर | जबलपुर |
| 2. | श्री विनोद कुमार वर्मा | मंदसौर | रतलाम |
| 3. | श्री सतीश गुप्ता | गुना | ग्वालियर |
| 4. | श्री सुभाष जैन | नरसिंहपुर | बीज संघ, जबलपुर |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

1. स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्य मुक्त किया जावे। एक तरफा कार्य मुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
2. जिन कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानान्तरण जारी हों उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
3. स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वॉइनिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त होने पर उसका अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्लाईज कोड/ डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
5. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा ।

(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :स्था./2/2017/1896

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
3. कलेक्टर, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम, गुना, ग्वालियर, नरसिंहपुर ।
4. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सम्भाग, जबलपुर/उज्जैन/ग्वालियर ।
5. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम, गुना, ग्वालियर, नरसिंहपुर ।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्या., भोपाल ।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्या., जबलपुर ।
8. सर्वसंबंधित क्रमांक. 1 से 4 की ओर पालनार्थ ।
9. स्थापना- 6, 7 एवं 12 मुख्यालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

आदेश

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर कालम नं0 4 उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

| क्रमांक | नाम कर्मचारी | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|---------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | श्री ए.के. गुप्ता | इन्दौर | सतना |
| 2. | श्री एन.के. मालवीय | इन्दौर | सिंगरौली |
| 3. | श्री जगदीश जलौदिया | इन्दौर | मण्डला |
| 4. | श्री राकेश व्यास | इन्दौर | टीकमगढ़ |
| 5. | कु0 निधि भदौरिया | इन्दौर | गुना |
| 6. | श्रीमति पूनम साकेत | भोपाल | नीमच |
| 7. | श्री नन्नूलाल गर्ग | सतना | नरसिंहपुर |
| 8. | श्री राकेश श्रीवास्तव | टीकमगढ़ | मन्दसौर |
| 9. | श्री नरेश सगर | ग्वालियर | शाजापुर |
| 10. | श्री अजय आहूजा | ग्वालियर | शाजापुर |
| 11. | श्री टी.आर. कोरी | जबलपुर | मण्डला |
| 12. | श्री एच.के. झाम | टीकमगढ़ | मन्दसौर |
| 13. | श्री के.एम. स्वर्णकार | भोपाल | उमरिया |
| 14. | श्री बसंत कुमार रोहित | सागर | बैतूल |
| 15. | श्री पूनम चन्द्र माहोरे | छिन्दवाड़ा | इन्दौर |
| 16. | श्री प्रवीण नासेरी | छिन्दवाड़ा | इन्दौर |
| 17. | श्री पी.के. जैन | अशोक नगर | इन्दौर |
| 18. | श्री सुनील खरे | मण्डला | जबलपुर |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

1. स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्य मुक्त किया जावे। एक तरफा कार्य मुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।
2. जिन कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानान्तरण जारी हों उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त होने पर उसका अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉय कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजा जावे।
5. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा।



(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :स्था.-3/2017/1898
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल।
3. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त आयुक्त, (समस्त) सहकारिता, मध्यप्रदेश।
5. उप/सहायक आयुक्त, (समस्त) (प्रशासन/अंकेक्षण) सहकारिता, मध्यप्रदेश।
6. क्रमांक- 1 से 18 तक संबंधित कर्मचारी।
7. स्थापना- 6, एवं 12 मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें,
मध्यप्रदेश

आदेश

सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर कालम नं० 4 उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

| क्रमांक | नाम कर्मचारी | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|---------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | श्री आर.के. जैन | हरदा | सीहोर |
| 2. | श्री आर.के. गांगिल | श्यापुर | गुना |
| 3. | श्री आर.के. सोनी | बैतूल | रायसेन |
| 4. | श्री राजीव रूपोलिया | भिण्ड | ग्वालियर |
| 5. | श्री एम.के. रावल | छिन्दवाड़ा | बालाघाट |
| 6. | श्री बी.के. तिवारी | हरदा | सीहोर |
| 7. | श्री एच.एस. तिवारी | पन्ना | देवास |
| 8. | श्री द्वारिका प्रसाद यादव | पन्ना | छतरपुर |
| 9. | श्री एम.के. श्रीवास्तव | रायसेन | भोपाल |
| 10. | श्री बी.आर. जंगले | राजगढ़ | भोपाल |
| 11. | श्री धीरेन्द्र सिंह | सीधी | रीवा |
| 12. | श्री मुकेश कुमार गुप्ता | उज्जैन | दमोह |
| 13. | श्री विनोद कुमार सरेयाम | उज्जैन | देवास |
| 14. | श्री उमेश श्रीवास्तव | दमोह | पन्ना |
| 15. | श्री देवेन्द्र जैन | टीकमगढ़ | इन्दौर |
| 16. | श्री रविन्द्र जैन | टीकमगढ़ | पन्ना |
| 17. | श्री मनोहर केथवास | आगर मालवा | उज्जैन |
| 18. | श्री के.के. गुप्ता | ग्वालियर | भिण्ड |
| 19. | श्री राजेश अग्रवाल | पन्ना | आई.सी.डी.पी. सतना |
| 20. | श्री प्रवीण कुमार जैन | कटनी | इन्दौर |
| 21. | श्री एस.के. राठी | मण्डला | सिवनी |
| 22. | सुश्री श्रद्धा सोनी | होशंगाबाद | जबलपुर |
| 23. | श्री राजीव सक्सेना | पन्ना | छतरपुर |
| 24. | श्री प्रमोद खरे | पन्ना | छतरपुर |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

1. स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्य मुक्त किया जावे। एक तरफा कार्य मुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
2. जिन कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानान्तरण जारी हों उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
3. स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त होने पर उसका अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
5. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा ।

(कवीन्द्र कियावत)

(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :स्था.-3/2017/1899

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
3. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त आयुक्त, (समस्त) सहकारिता, मध्यप्रदेश ।
5. उप/सहायक आयुक्त, (समस्त) (प्रशासन/अंकेक्षण) सहकारिता, मध्यप्रदेश ।
6. क्रमांक- 1 से 24 तक संबंधित कर्मचारी ।
7. स्थापना- 6, एवं 12 मुख्यालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक,
सहकारी संस्थायें,
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :स्था./2/2017/1891

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017


आदेश

सहकारिता विभाग के उप अंकेक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरित कर कालम नम्बर-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

| क्रमांक | नाम कर्मचारी | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री आशीष सेठिया | इन्दौर | डिण्डोरी |
| 2. | श्री राजेन्द्र कुमार पंसारी | भोपाल | मण्डला |
| 3. | श्री सुरेश भण्डारी | गुना | राजगढ़ |
| 4. | श्री विजय सिंह राजपूत | राजगढ़ | होशंगाबाद |
| 5. | श्री राजेश दुबे | टीकमगढ़ | मंदसौर |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

1. स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्य मुक्त किया जावे। एक तरफा कार्य मुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।
2. जिन कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानान्तरण जारी हों उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
3. स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वार्निंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त होने पर उसका अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्लाईज कोड/ डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
5. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वार्निंग करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा ।


(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश


क्रमांक :स्था./2/2017/1895

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
3. कलेक्टर, इन्दौर, भोपाल, गुना, राजगढ़, टीकमगढ़, डिण्डोरी, मण्डला, होशंगाबाद, मंदसौर ।
4. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सम्भाग जबलपुर/उज्जैन/ग्वालियर/नर्मदापुरम्/भोपाल/इंदौर/सागर ।
5. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता, इन्दौर, भोपाल, गुना, राजगढ़, टीकमगढ़, डिण्डोरी, मण्डला, होशंगाबाद, मंदसौर ।
6. सर्वसंबंधित क्रमांक 1 से 5 की ओर पालनार्थ ।
7. स्थापना- 6, 7 एवं 12 मुख्यालय ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :स्था./2/2017/1994

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

आदेश

सहकारिता विभाग के उप अंकेक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित कर कालम नम्बर 4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

| क्रमांक | नाम कर्मचारी | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री योगेश तिवारी | इंदौर | हरदा |
| 2. | श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर | इंदौर | खरगोन |
| 3. | श्री प्रमोद राय | होशंगाबाद | भोपाल |
| 4. | श्री आर.पी. सोलंकी | भोपाल | हरदा |
| 5. | श्री ओम प्रकाश मालवीय | सीहोर | भोपाल |
| 6. | श्री गोविन्द प्रसाद नागवंशी | उज्जैन | खण्डवा |
| 7. | श्री अशोक मालवीय | उज्जैन | शाजापुर |
| 8. | श्री संजय देवलालीकर | उज्जैन | देवास |
| 9. | श्री विवेक व्यास | उज्जैन | देवास |
| 10. | श्री समीर हरदास | उज्जैन | देवास |
| 11. | श्री दिनेश गुप्ता | उज्जैन | खण्डवा |
| 12. | श्री विजय दिसोरिया | अलीराजपुर | इन्दौर |
| 13. | श्री सतीश अग्रवाल | ग्वालियर | अशोकनगर |
| 14. | श्री भगवत शरण चौबे | ग्वालियर | सागर |
| 15. | श्री प्रमोद साठे | अशोकनगर | ग्वालियर |
| 16. | श्री अनिल अहिरवार | राजगढ़ | विदिशा |
| 17. | श्री आकाश अहाके | नीमच | सिवनी |
| 18. | श्री सुनील कुमार नेमा | नरसिंहपुर | जबलपुर |
| 19. | श्री सुधीर मोने | बैतूल | होशंगाबाद |
| 20. | श्री जी.डी. पाल | उज्जैन | होशंगाबाद |
| 21. | श्री गिरीश जैन | भिण्ड | ग्वालियर |
| 22. | श्री उमेश यादव | बैतूल | होशंगाबाद |
| 23. | श्री नंद किशोर अडानिया | उज्जैन | मंदसौर |
| 24. | श्रीमती अर्चना अग्रवाल | भोपाल | सीहोर |
| 25. | श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाह | पन्ना | ग्वालियर |
| 26. | श्री सुधीर जैन | शाजापुर | इन्दौर |
| 27. | श्री डी.के. गुप्ता | विदिशा | भोपाल |
| 28. | श्री एन.एस. राय | सागर | टीकमगढ़ |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

1. स्थानान्तरण आदेश में कार्यमुक्त निर्धारित अवधि में एक सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त नहीं होता है तो उसे तत्काल कार्य मुक्त किया जावे। एक तरफा कार्य मुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा ।

2. जिन कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानान्तरण जारी हों उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे ।
3. स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
4. स्थानान्तरित कर्मचारी/अधिकारी कार्यमुक्त होने पर उसका अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्प्लॉईज कोड/ डाटा बेस संबंधित कोषालय हेतु सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजा जावे ।
5. स्थानान्तरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय के ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावेगा ।



(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक :स्था./2/2017/1894

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि—

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
 2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
 3. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश ।
 4. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, समस्त सम्भाग ।
 5. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता (समस्त) मध्यप्रदेश ।
 6. सर्वसंबंधित क्रमांक 1 से 28 की ओर पालनार्थ ।
 7. स्थापना— 6, 7 एवं 12 मुख्यालय ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था/5/2017/1884
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10.7.17

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला उमरिया/छतरपुर।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर/शहडोल।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला उमरिया/छतरपुर।
06. जिला कोषालय अधिकारी, उमरिया/छतरपुर।
07. प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, मुख्यालय।
08. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
09. सर्व संबंधित क्रमांक 1 से 6 तक की ओर पालनार्थ।



आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

क्रमांक/स्था/5/2017/1890
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक 10.7.17

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला सतना/रीवा।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा/सागर।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला सतना/रीवा
06. जिला कोषालय अधिकारी, सतना/रीवा।
07. प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, मुख्यालय।
08. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
09. सर्व संबंधित क्रमांक 1 से 6 तक की ओर पालनार्थ।



आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

क्रमांक/स्था/5/2017/189।

भोपाल, दिनांक 10.7.17

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला छतरपुर/उमरिया/उज्जैन/देवास।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन/सगर/शहडोल संभाग।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला छतरपुर/उमरिया/उज्जैन/देवास।
06. जिला कोषालय अधिकारी, विन्ध्यांचल कोषालछतरपुर/उमरिया/उज्जैन/देवास।
07. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
08. सर्व संबंधित क्रमांक 1 से 09 तक की ओर पालनार्थ।



आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था/5/2017/1692

भोपाल, दिनांक 07.17

::आदेश::

सहकारिता विभाग के तृतीय श्रेणी लिपिक संवर्ग के निम्न कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक स्वयं के व्यय के आधार पर स्थानांतरित कर कॉलम नं.-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

| क्र. | नाम कर्मचारी एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री दिनेश चौधरी, सहा.ग्रेड 3 | दमोह | जबलपुर |
| 2 | श्री सुरेश डामोर, सहा.ग्रेड 3 | आगर | इन्दौर |
| 3 | श्री मनीष मीना, सहा.ग्रेड 3 | आगर | उज्जैन |
| 4 | श्री दिनेश जोशी, सहा.ग्रेड 3 | उज्जैन | मंदसौर |
| 5 | श्रीमती संगीता ठाकुर, सहा.ग्रेड 3 | होशंगाबाद | मुख्यालय |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

1. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि 01 सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।
2. जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका, एम्पलाईज कोड/डाटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) आदि नवीन पदस्थापना कार्यालय में 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावे।
5. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावे।

Feedn

(कवीन्द्र कियावत)


आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

क्रमांक/स्था/5/2017/1892

भोपाल, दिनांक 07.17

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता समस्त, मध्यप्रदेश।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला समस्त, मध्यप्रदेश।
06. जिला कोषालय अधिकारी, समस्त, मध्यप्रदेश।
07. सहायक आयुक्त सहकारिता (देयक) मुख्यालय।
08. प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, मुख्यालय।
09. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
10. सर्व संबंधित क्रमांक 1 से 09 तक की ओर पालनार्थ।


आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश
क्रमांक/स्था/5/2017/1893

भोपाल, दिनांक 10.7.17


::आदेश::

सहकारिता विभाग के तृतीय श्रेणी लिपिक संवर्ग के निम्न कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर कॉलम नं.-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

| क्र. | नाम कर्मचारी एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | श्री सुभाष कुषमाकर, सहा.ग्रेड 3 | उज्जैन | देवास |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

1. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि 01 सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।
2. जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका, एम्पलाईज कोड/डाटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) आदि नवीन पदस्थापना कार्यालय में 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावे।
5. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावे।


(कवीन्द्र कियावत)


आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

क्रमांक/स्था/5/2017/1893

भोपाल, दिनांक 10.7.17

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला उज्जैन/देवास।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता उज्जैन।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला उज्जैन/देवास।
06. जिला कोषालय अधिकारी, उज्जैन/देवास।
07. प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, मुख्यालय।
08. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
09. सर्व संबंधित क्रमांक 1 से 6 तक की ओर पालनार्थ।


आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र.

क्रमांक/स्था/6/2017/1901

भोपाल, दिनांक 10.7.17

::आदेश::

सहकारिता विभाग के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के निम्न कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर कॉलम नं.-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

| क्र. | नाम कर्मचारी एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | श्री रामलाल मिश्र | कार्या0 सहायक आयुक्त जिला उमरिया | कार्या0 उप आयुक्त जिला सीधी |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

1. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि 01 सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।
2. जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका, एम्पलाईज कोड/डाटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) आदि नवीन पदस्थापना कार्यालय में 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावे।
5. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावे।



(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

क्रमांक / स्था / 6 / 2017 / 1901

भोपाल, दिनांक 10.7.17

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला सीधी / उमरिया।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता रीवा संभाग।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला सीधी / उमरिया।
06. जिला कोषालय अधिकारी, सीधी / उमरिया।
07. स्थापना 07 / 12 मुख्यालय।
08. श्री रामलाल मिश्र, भृत्य द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता उमरिया की ओर पालनार्थ।



आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र.
क्रमांक/स्था/6/2017/1900

भोपाल, दिनांक 10.7.17

::आदेश::

सहकारिता विभाग के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के निम्न कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश होने तक प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित कर कॉलम नं.-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

| क्र. | नाम कर्मचारी एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थी स्थान | नवीन पदस्थी स्थान |
|------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | श्री विवेक बंसल | कार्या० उप आयुक्त सह० जिला मुरैना | कार्या० सहायक आयुक्त सह० जिला श्योपुर |
| 02 | श्री विकास गर्ग | कार्या० उप आयुक्त जिला मुरैना | कार्या० उपायुक्त सह० जिला भिण्ड |
| 03 | श्री रमेश शर्मा | कार्या. उप आयुक्त सह. जिला भिण्ड | कार्या० उपायुक्त सह० मुरैना |
| 04 | श्री शाकबर दत्त | कार्या० उप आयुक्त सह० जिला सीहोर | मुख्यालय |
| 05 | श्री मटरू लाल | कार्या० उपायुक्त सह० जिला सतना | कार्या० उप आयुक्त सह० जिला रीवा |
| 06 | श्री बहादुर अहिरवार | कार्या० उप आयुक्त सह. छतरपुर | कार्या. सहायक आयुक्त सह. दमोह |
| 07 | श्री लक्ष्मण साहू | कार्या. उप आयुक्त सहकारिता सागर | उप आयुक्त सह. हरदा |
| 08 | श्री भगवत साहू | मुख्यालय | उप आयुक्त सह. सीहोर |
| 09 | श्री हरि पंचौरे | उप आयुक्त सहकारिता सागर | उप आयुक्त सहकारिता खण्डवा |
| 10 | श्री भगवत सिंह ठाकुर | उप आयुक्त सहकारिता भोपाल | उप आयुक्त सहकारिता सीहोर |

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

1. स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की निर्धारित अवधि 01 सप्ताह में यदि संबंधित कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एकतरफा कार्यमुक्त किया जावे। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।
2. जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण जारी हो उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जावे।

3. स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका, एम्पलाईज कोड/डाटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) आदि नवीन पदस्थापना कार्यालय में 07 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।
5. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जावे।



(कवीन्द्र कियावत)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ म0प्र0

भोपाल, दिनांक 10.7.17

क्रमांक/स्था/6/2017/1900

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
02. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सहकारिता, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
03. कलेक्टर जिला रीवा/ सीहोर/ भोपाल/ मुख्यालय/ सागर/भिण्ड/मुरैना/ छतरपुर/उमरिया / सीधी/ खण्डवा/श्योपुर/दमोह/हरदा/सतना।
04. संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर/रीवा/शहडोल/भोपाल/सागर/उज्जैन /मुख्यालय/चंबल संभाग मुरैना।
05. उप/सहायक आयुक्त सहकारिता जिला रीवा/ सीहोर/ भोपाल/ मुख्यालय/ सागर/भिण्ड/मुरैना/छतरपुर/उमरिया सीधी/ खण्डवा/श्योपुर /दमोह/ हरदा /सतना।
06. जिला कोषालय अधिकारी, विन्ध्यांचलय रीवा/ सीहोर/ भोपाल/ मुख्यालय/ सागर/भिण्ड/मुरैना/छतरपुर/उमरिया/सीधी/खण्डवा/श्योपुर/दमोह/हरदा/सतना।
07. सहायक आयुक्त सहकारिता (देयक) मुख्यालय।
08. प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय शाखा, मुख्यालय।
09. स्थापना 07/12 मुख्यालय।
10. सर्व संबंधित क्रमांक 1 से 10 तक की ओर पालनार्थ।



आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ म0प्र0